तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खेम सिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर शहर, प्रथम जोधपुर)	
04.01.2022	सू.अ.अ. अपील संख्या : 355/2021 अपीलार्थी खेम सिंह जोधा निवासी ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.09.2021 में उसके द्वारा (1) कार्यालय स्टेट मोटर गेराज(पूल) जोधपुर की गाड़ी नम्बर आर जे 19 यूए 6721 की वर्ष 2017–2018 से 2020–2021 तक की आडिट रिपोर्ट की नियमानुसार प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर शहर, प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर शहर, प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर शहर, प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1541 दिनांक 24.11.21 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, जिला पूल जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी श्री खेमसिंह जोधा को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1323 दिनांक 11.10.21 द्वारा इस कार्यालय के बिन्दु सं0 1 कुल 02 पृष्ठों की सूचना प्राप्त करने हेतु राशि रूपये 04/– रूपये इस कार्यालय में जमा कराने हेतु लिखा गया तथा शेष बिंन्दु सं0 02 की सूचना उपखण्ड अधिकारी लूणी से प्राप्त करने हेतु नियमानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अलग से आवेदन कर सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया था परन्तु अपीलार्थी द्वारा वांछित पृष्ठों की सूचना प्राप्त करने हेतु राशि इस कार्यालय में जमा नहीं करवाई गई है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है अतः प्रार्थी अब भी सूचना प्राप्त करने को लेकर गंभीर है तो निर्धारित सूचना शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त कर सकता है, अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	